

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक: राजहैल्थ/टी.सी./29951/2025/13

दिनांक: 11.01.2025

निदेशक (जन स्वा0),
मुख्यालय।

विषय:— महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों की गलत रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के संबंध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:— माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रकरण में दिये गये मौखिक निर्देशों की पालना में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु नवचयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से रिक्त पदों की सूचना प्राप्त कर राजहैल्थ पोर्टल पर लोक की गई। तत्पश्चात समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को लॉक किये गये पदों का पुनः परिक्षण कर गलत लॉक किये गये पदों को अनलॉक किये जाने अथवा निदेशालय को सूचित किये जाने हेतु पत्र द्वारा निर्देश प्रदान किये गये। उक्त प्रक्रिया पश्चात चिन्हित रिक्त पदों पर नवचयनित कार्मिकों का पदस्थापन किया गया।

निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर/अनुपगढ/बालोतरा/बांसवाडा/बारां/बाडमेर/भरतपुर/भीलवाडा/चित्तौडगढ/दौसा/डूंगरपुर/गंगापुरसिटी/हनुमागढ/जयपुर-द्वितीय/झालावाड/जोधपुर-ग्रामीण/करौली/कोटा/फलौदी/सलूमबर/सवाईमाधोपुर/शाहपुरा/सिरोही/टोंक/उदयपुर द्वारा रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध करवाने/लॉक करने में कोताही बरती गई। उक्त के फलस्वरूप 96 नवचयनित कार्मिकों के पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने के कारण इनके अनावश्यक रूप से अन्यत्र स्थान पर पदस्थापन आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता होगी, जिसे माननीय मंत्री महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही करवाने का श्रम करें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक: राजहैल्थ/टी.सी./29951/2025/13

दिनांक: 11.01.2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव निदेशक (अराजपत्रित), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को सभी संबंधित को ई-मेल करें।
5. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :11-01-2025 03:14:31